# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

**अपील संख्याः–** 15/21 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/27

उनवान

1. रामनिरी पत्नी गजेन्द्र सिंह जाति मीना निवासी भवनपुरा तहसील रूपवास हाल उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामजीलाल (मृतक) पुत्र गगोली जाति मीना निवासी भवनपुरा तहसील रूपवास हाल उच्चैन जिला भरतपुर।
   - 1/1. तेज सिंह आयु 55 साल
   - 1/2. राजेश आयु 42 साल

   } पुत्रगण स्व0 रामजीलाल जाति मीना निवासी भवनपुरा तह0 रूपवास हाल उच्चैन जिला भरतपुर।
   - 1/3. श्रीमती उर्मिला आयु 51 साल पुत्री स्व0 रामजीलाल पत्नी लोहरेराम
   - 1/4. श्रीमती इन्द्रा आयु 53 साल पुत्र रामजीलाल पत्नी लक्खोराम जाति मीना निवासी कमला तहसील नादौती जिला करौली।
   - 1/5. श्रीमती हेमलता आयु 48 साल पुत्री स्व0 रामजीलाल पत्नी महेश जाति मीनाा निवासी महवा तहसील महवा जिला दौसा राज0

   ..... असल रैस्पो0

2. श्रीमान प्रबन्धक महोदय, एसबीआई ब्रहम्वाद तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0
3. तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 12.12.2017 उनवानी रामजीलाल बनाम रामनिरी मु0न0 28/12

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 25.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 12.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी मनवट के आधार पर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादी ने विवादित आराजी का बॅटवारा मौके के अनुसार करने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विधिवत बॅटवारे का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। रैस्पो0 ने अपने दावे को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बॅटवारे बाबत् कोई तनकी कायम नहीं की गयी है। अतः यह आदेश 14 नियम 1 का उल्लघंन है। क्योंकि दावा व जवाब दावा के अभिवचनो के आधार पर तनकी बननी चाहिए थी। तनकी संख्या 01 व 03 का तो कोई विवाद ही नहीं है व तनकी संख्या 2 में कही स्पष्ट नहीं है कि कौन से खसरा नम्बर के बारे मे तनकी बनी। रकवा भी मौके पर पूरा नहीं है। इसलिये पहले रकवा सीमाकंन के जरिये पूरा होना चाहिये था उसके बाद प्रारंभिक डिक्री से सम्बन्धित दावे पर कार्यवाही होनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में ना तो कोई खसरा नम्बर वर्णित किये हैं और ना ही कोई दिशा वर्णित की है। चूंकि प्रकरण में अपीलाण्ट अपने पक्ष के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका था। अतः प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस मे तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट विवादित आराजी का बॅटवारा मौके अनुसार किया जाना कथन करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्राथमिक डिक्री पक्षकारो की उपस्थिति में मौके के अनुसार कुरे बनाते हुये पारित की गयी है। प्रकरण में अभी कुर्रे नहीं आये हैं। यदि अपीलाण्ट को कोई आपत्ति है तो कुर्रो पर कर सकते थे। जहॉ तक विवादित भूमि का मौके पर कम होने का प्रश्न है तो वह

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पैमाईश से ही संभव है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील में कोई बल नहीं है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट की आपत्ति का सार यह है कि विवादित भूमि मौके पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकवा से कम है। उनके द्वारा 7 बीघा 7 विस्वा रकवा सन् 2011 में क्रय किया। परन्तु मौके पर खरीदे हुये रकवे से कम पर, करीब 6 बीघा पर ही कब्जा मिला। अतः कुर्रे मौके पर पैमाईश करायी जाकर तैयार किये जावें। हम पाते हैं कि उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में ही तय हो सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार रूपवास को निर्देशित करें कि वह स्वयं उभयपक्ष की उपस्थिति में मौके पर जाकर, विवादित भूमि की पैमाईश कराते हुये, उभयपक्ष की सहमति/मौके अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करें एवं तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करें।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर